



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 15.05.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 15.05.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना बकेवर

मा0 न्याया0 एडीजे /स्पे0जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त सुभाष चन्द्र पुत्र बडेलाल नि0 सलेमपुर थाना बकेवर जनपद इटावा को आजीवन कारावास व 1,00,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बकेवर पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते **मा0 न्याया0 एडीजे /स्पे0जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरण:- थाना बकेवर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा नाबालिग वादिया के कपडे उतारने व उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 396/2021 धारा 354 ख/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री संजय सिंह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री आशीष तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 15.05.2026 को अन्तर्गत धारा 452/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट 354 ख/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में मा0 न्याया0 एडीजे /स्पे0जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

- 1. सुभाष चन्द्र पुत्र बडेलाल निवासी सलेमपुर थाना बकेवर जनपद इटावा।**